"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20 01 03."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 199] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 28 जुलाई 2006—श्रावण 6, शक 1928

गृह (पुलिस) विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 28 जुलाई 2006

अधिसूचना

क्रमांक एफ 3-144/2004/बजट/गृह-दो.—दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 क्रमांक 2 सन् 1974 की धारा 2 के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए नीचे दी गई सारणी में वर्णित स्थानीय क्षेत्रों को प्रभावित करने वाली पूर्व अधिसूचनाओं में आंशिक रूप से भेद करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा जन सुविधा एवं प्रशासनिक दृष्टिकोण से, कालम नं. (3) में वर्णित पुलिस थानों के उक्त सारणी के कालम (4) की तत्संबंधित प्रविष्टि में उल्लेखित किये गये स्थानीय क्षेत्रों को कालम नं. 3 में वर्णित थानों के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत ही कालम नं. 2 में वर्णित पुलिस नवीन थाना के स्थानीय क्षेत्राधिकार में अधिसूचित करता है.

क्रमांक	नवीन थाना स्थापना	उस पुलिस थाने का नाम (तहसील जिला सहित) जिसमें से अपवर्जित किया गया	स्थानीय क्षेत्र	
			ग्राम का नाम	पटवारी हल्का नं.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	नवीन थाना नगरी जिला धमतरी	थाना-सिहावा, जिला-धमतरी	नगरी	26
			चूरिया पारा	59
			डोगर डुला	210

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			बिलभद्दर	345
			कंक्लेमेटा	47
			दलदली	वनग्राम
			बांधा	वनग्राम
			गुहान नाला	वनग्राम
			दुगली	वनग्राम
			कौहाबहरा	वनग्राम
			कोलियारी	वनग्राम
			गजकन्हार	वनग्राम
			तुमबहरा	वनग्राम
			मटिया बहरा	वनग्राम
			बारगांव	वनग्राम
			खरका	वनग्राम
			तिनकरपुर	वनग्राम
			जबर्रा	वनग्राम
			मुनईकेरा	वनग्राम
			देवगांव	वनग्राम
			छिपली	61
			संभलपुर	235
			अमाली	13
			गोरेगांव	151
			फरसियन	360
			मोदे	441
			सामतरा	480
			निरबिड़ा	268
			चंदन बहरा	वनग्राम
			गोरागांव	वनग्राम
			खुदुरपानी	वनग्राम
			बोड़रा	356
			गोथली	398
			भैंसामुड़ा	वनग्राम
			टेगना	199
			राजपुर	458
			वनहर्रा	314
			छोटगांव	157
			गट्टासिल्ली	129
			नेगीनाला	वनग्राम
			झुझराकसा	वनग्राम
			अर्जुनी	वनग्राम
			चिवड़ी सांकरा	वनग्राम
			आमड़ी	वनग्राम
			करैहा	वनग्राम
			खैरभर्री	वनग्राम

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			गोंदलानाला	वनग्राम
			गेदरा	वनग्राम
			कोहिनपारा	वनग्राम
			मसानडबरी	वनग्राम
			सरईटोला	वनग्राम
			पालगांव	वनग्राम
			हल्दीभाटा	159
			कर्राघाटी	वनग्राम
			चमेदा	वनग्राम
			कुमड़ाकोट	वनग्राम
			कोरमुड़ा	94

रायपुर, दिनांक 28 जुलाई 2006

अधिसूचना

क्रमांक एफ 3-111/2005/बजट/गृह-दो.—दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 क्रमांक 2 सन् 1974 की धारा 2 के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए नीचे दी गई सारणी में वर्णित स्थानीय क्षेत्रों को प्रभावित करने वाली पूर्व अधिसूचनाओं में आंशिक रूप से भेद करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा जन सुविधा एवं प्रशासनिक दृष्टिकोण से, कालम नं. (3) में वर्णित पुलिस थानों के उक्त सारणी के कालम (4) की तत्संबंधित प्रविष्टि में उल्लेखित किये गये स्थानीय क्षेत्रों को कालम नं. 3 में वर्णित थानों के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत ही कालम नं. 2 में वर्णित पुलिस नवीन चौकी के स्थानीय क्षेत्राधिकार में अधिसूचित करता है.

क्रमांक	नवीन चौकी स्थापना	उस पुलिस थाने का नाम (तहसील जिला सहित) जिसमें से अपवर्जित किया गया	स्थानीय क्षेत्र	
			ग्राम का नाम	पटवारी हल्का नं.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	नवीन पुलिस चौकी खरसिया (शहर)	थाना-खरसिया, जिला-बिलासपुर, छ.ग.	खरसिया	11
			मदनपुर	6
			ठुंसेकेला	7
			तेंलीकोट	11
			महका गोपी	11
			मौहापाली	11
			अंजोरीपाली	11

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुभाष अत्रे, सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2006.